कार्यालय, विकास आयुक्त (सू. लघु एवं मध्यम उद्यम)
सू. ल. लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-११००११

Micro, Small and Medium Enterprises
सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road
New Delhi-110011

Ph. EPABX-23022220, 23022211,23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315,23061726, 23061063, e-mail:- dc-msme@nic.in

16(20)(1))/2009-एमएसएमई नीति दिनांक 05.11.09

सेवा में,

विकास आयुक्त (उद्योग),
उद्योग निदेशालय, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
अपोजिट मंत्रालय, मुम्बई -400032.

13 NOV 2009

विषय: एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ई०एम० फाईल करने के संबंध में ।

महोदय,

बाम्बे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन, मुम्बई ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) के द्वारा उनके एक सदस्य उद्यम पर 'उद्योग' के स्थान पर 'उद्यम' शब्द (जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में प्रदत्त किया गया है) के प्रयोग करने के कारण, इस आधार पर अर्थ दण्ड लगाया है कि विद्युत कनैक्शन 'उद्योग' के लिए था न कि ' उद्यम' के लिए ।

2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों के लिए 'उद्यम' शब्द का प्रयोग किया गया हैं । इसलिए, वर्तमान शब्दावली "विनिर्माणकारी उद्यम" (Manufacturing Enterprise) को उद्योग अथवा औद्योगिक उपक्रम शब्द, जो कि पहले लघु उद्योग की परिभाषा में प्रयोग किया जाता था, के समतुल्य माना जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006में सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों को 'सेवा उद्यम' के रूप में निरूपित किया गया हैं।

3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, निवेदन किया जाता है कि इस तथ्य को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (MSEB) एवं राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों/उपक्रमों के संज्ञान में, राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर, लाया जाए ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भविष्य में होने वाली इस प्रकार की कठिनाईयों से बचाया जा सके तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ वित्त संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धनएवं विकास के लिए सभी प्रामाणिक(bonafide) सहायता प्रदान की जाए।

भवदीय,

(पी०के० सिन्हा)
उप निदेशक (एमएसएमई नीति)

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र -सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा समान कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ ।
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई ;

पृष्ठ 2 पर जारी

5. उप गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;

6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;

7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;

8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;

9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;

10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;

11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली - 110104

12. बाम्बे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन, मार्फत मै० भारत ट्रेडर, बी-20, गिर्राज औद्योगिक इस्टेट, महाकाली कव्यज मार्ग, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई--- सूचनार्थ ।

(पी०के० सिनहा)

कार्यालय आयुक्त,उद्योग विभाग,उद्योग भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक: एफ 15 (1) आयु.उ./ई.एम.अनु./एमएसएमई --नीति/2009 दिनांक: 30 NOV 2009

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
3. फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त।
4. मास्टर फाइल

November 30, 2009

संयुक्त निदेशक, उद्योग

कार्यालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-११००११

Micro, Small and Medium Enterprises
सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011

Ph. EPABX-23022220, 23022211,23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315,23061726, 23061068, e-mail:- dc-msme@nic.in,,dcmsme@dcmsme.gov

16(20)/1/2009-MSME POL   Dated 05.11.2009

The Development Commissioner (Industries),
Government of Maharashtra,
Directorate of Industries,
New Administrative Building,
Opp. Mantralaya,
Mumbai-400032

Subject:- **Filing of EM under MSMED Act 2006-reg.**

Sir,

Bombay Small Scale Industries Association (BSSIA), Mumbai has represented in this office regarding penalty imposed by the Maharashtra State Electricity Board (MSEB) on one of their member enterprise due to the use of the term "enterprise" (as provided for in MSMED Act 2006) in place of "industry", on the ground that the connection was for an "Industry" and not for "Enterprise".

2. The MSMED Act 2006 uses the terminology "Enterprise" for the establishments engaged in manufacturing sector as well as in service sector. Therefore, present terminology "manufacturing enterprise" should be considered as equivalent to the term "industry" or industrial undertaking, which was used earlier in the definition of small-scale industry. The establishments engaged in services are termed as "Service Enterprises" in the MSMED Act 2006.

3. In view of the above, it is requested that this fact may kindly be brought to the notice of MSEB and all other state government departments/undertakings at State as well as district level in order to avoid any such problem to MSMEs in future and all bonafide assistance may please be provided to micro small and medium enterprises by all the State Government departments as well as by financial institutions for their promotion and development.

Yours faithfully,

(P.K. Sinha)
Dy. Director (MSME Pol.)

Copy to:

1. Principal Secretaries/ Secretaries, I/c of matters of MSMEs, All States/UTs- With a request for similar action in the States/UTs.
2. Chairman, NABARD, Mumbai,
3. Chairman & Managing Director, SIDBI, Lucknow,
4. Chairman, Indian Bank Association, Mumbai,

..........contd.2/-

5. Dy. Governor, RBI, Mumbai,
6. Chairman & Managing Directors, Commercial Banks and Financial Institutions including State Financial Corporations as per mailing list,
7. Chairman & Managing Director, NSIC, New Delhi,
8. Commissioner/Director of Industries/ I/c of matters of MSMEs, All States/UTs,
9. Director/Dy. Director, I/c MSME DIs/ Br. MSME DIs, All States/UTs,
10. President, Associations of MSMEs, as per mailing list.
11. President, ICAI, P.B. No. 7100, ICAI Bhavan, IP Estate, New Delhi-110104
12. The President, Bombay Small Scale Industries Association (BSSIA), C/o M/s Bharat Traders, B-20, Giriraj Industrial Estate, Mahakall Caves Road, Andheri East, Mumbai –for information

(P.K. Sinha)